उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या: 36/2015/1879/43-1-2015-14(62)/2015
लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर, 2015
कार्यालय- ज्ञाप

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग से सम्बन्धित अधिकाधिक वादों का चिन्हांकन कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने हेतु शासन स्तर पर संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

1- नाम	-	डा0 नन्द लाल
2- पदनाम	-	संयुक्त सचिव
3- दूरभाष सख्या-	-	0522-2214853
4- मोबाईल संख्या-	-	9454412238
5- कक्ष संख्या-	-	209-बापू भवन

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी, लखनऊ।
2- डा0 नन्द लाल, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- उप सचिव, राज्य सूचना आयोग, लखनऊ/मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद/संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पुन: न्याय अनुभाग-7 (क0नि0) दिनांक 21-11-2015 की प्रति सलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि क़पया उक्त पत्र में की गई अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना/आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6- न्याय अनुभाग-7 (क0नि0), उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या- 23/2015/606/सात-न्याय-7-2015-23/2013, दिनांक 21-11-2015 के सन्दर्भ मे।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

लुटावन राम
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in